

अज्ञाने-कब्र

आला हजरत इमाम-ए-अहले सुन्नत
इमाम अहमद रजा
रदियल्लाहो तआला अन्हो



रजा एकेडमी मुंबई-3

क़ब्र में लहेराअंगे ता हश् चश्मे नूर के
जल्वा फ़रमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की
(अर्ज़ :- आला हजरत)

- ✦ क़ब्र पर दफ़न के बाद अज़ान देना जाइज है या नहीं ?
- ✦ क़ब्र पर अज़ान देने की कोई दलील है ?
- ✦ क़ब्र पर अज़ान देने का मकसद क्या है ?
- ✦ क़ब्र पर अज़ान देने से क्या फ़ायदे है ?

इन तमाम सवालो का तफ़सीस से जवाब यानी हि स. १३०७
(११०, साल पहले) लिखि गई एतिहासिक किताब :-

“इज़ानुल-अज़े-फि-अज़ानिल-क़ब्रे”

अज़ाने-क़ब्र

:- तसनीफ़ :-

अअ़ला हज़रत इमाम अहमद रज़ा क़ादिरी
फ़ाज़िले बरैलवी (अलैहिर्रहमा)

:- बफ़ैज़ :-

हुज़ूर मुफ़्तिअ अअ़ज़म हज़रत अल्लामा शाह
मुहम्मद मुस्तफ़ा रज़ा क़ादिरी नूरी (अलैहिर्रहमा)

नाशिर : रज़ा एकेडमी

२६, कांबैकर स्ट्रीट, मुम्बई-३. फोन नं.: ३७३७६८९-३७०२२९६

सिलसिलए इशाअत नं. २२८
(जुमला हुकूक वहक्के नाशिर महफूज)

नाम किताब : अज्ञाने क्रब
तस्नीफ़ : अअूला हज़रत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी
तर्जमा : अब्दुस्सत्तार हबीब हमदानी
सन इशाअत : १९९९
नाशिर : रज़ा एकेडमी, मुंबई

अअूला हज़रत फ़ाज़िले बरेलवी अलैहिर्रहमा की तस्नीफ़ कर्दा अनवारुल
वशारति फ़ी मसाइलिल हज्जे वज़िज़यारति यानी हज्ज व ज़ियारत अब
हिन्दी में भी शाय़ा होकर मंज़रे आम पर आ चुकी है।

नाशिर : रज़ा एकेडमी

२६, कांबेकर स्ट्रीट, मुम्बई-३. फोन नं.: ३७३७६८१-३७०२२९६

मिलने का पता : फ़ारूक़िया बुक डिपो

४२२, मटिया महल, जामेअ मस्जिद, दिल्ली - ६ फ़ोन - ३२६६०५३

**रज़ा एकेडमी ने
सरकार अअूला हज़रत के १०० रिसालों
का सेट (उर्दू) में**

एक साथ शाय़ा करने का शरफ़ हासिल किया है। ज़रूरत मंद हज़रत

फ़ारूक़िया बुक डिपो

४२२, मटिया महल, जामेअ मस्जिद, दिल्ली - ६

से राबता काएम करें।

प्रस्तावना

मैयत को दफ्न करने के वाद क़ब्र पर अज़ान देने के मरअले पर हर जगह आज कल विवाद चल रहे हैं। ये विवाद ने, आज कल उग्र रूप धारण कर लिया है। वहावी - तबलीगी जमाअत के अनुयायी इस विवाद के संदर्भ में आक्रमक तथा जनूनी खल्ल अपना कर क़ब्र पर अज़ान देने से लोगों को रोकते हैं, वल्कि झगडे का स्वरूप दे कर कब्रस्तान की निरप शांति, में आराम करनेवालों को भी खलल पहुँचाते हैं।

क़ब्र पर अज़ान देने की प्रणालिका सदियों से कौमे मुस्लिम में प्रचलित है। लेकिन उस "जाइज़" और 'नेक' कार्य को वहावी तबलीगी जमाअत के अनुयायी "ना-जाइज़" तथा "षिदअत" कहे कर उस का भारी विरोध कर रहे हैं।

क़ब्र पर अज़ान देना योग्य है या नहीं ? इस मरअले में लोग द्विधा में हैं। लेकिन माहितगार लोगोंको के लिए क़ब्र पर अज़ान देने के जाइज़ होने के वारे में कोई शंका नहीं। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा मोहदिषे वरेल्यी रदीअल्लाहे के समय में क़ब्र पर अज़ान देने के संदर्भ में वहावी और देववंदी वर्ग के अनुयायीओं ने बहूत हंगामा मचाया था। इमाम अहमद रज़ा से क़ब्र पर अज़ान देने के संदर्भ में सवाल पूछने में आया, तो आप ने "इज़ानुल - अज़्र - फ़ी - अज़ानिल - क़ब्र" नाम की किताब स. हि. १३०७ में यानी आज से ११०, साल पहले लिख कर विरोध कर ने वालों को खामोश कर दिया। इस किताब में आपने दलीलों के अंवार लगा दिये और क़ब्र पर अज़ान देना जाइज़ है, ये सावित कर दिया।

उपरोक्त किताब आप ने स. हि. १३०७ में लिखि थी। जिसको प्रकाशित होने को आज ११० साल हो गए हैं। लेकिन आज तक वहावी - तबलीगी जमाअत के पेशवा जवाब नहीं दे सके। ये बात इस बात की खुल्ली दलील है कि ये लोग जवाब लिखने की शकित नहीं रखते।

इस किताब की ऊर्दू भाषा में आज तक बाइस (२२) आवृत्ति और इस के गुजराती अनुवाद की पांच (५) आवृत्ति प्रकाशन हो चुकी हैं। इस किताब का सौ प्रथम गुजराती अनुवाद मैं ने इ.स. १९७२ (२४, वर्ष पूर्व) किया था और खुल्ली चुनौती दी थी के इस किताब में वर्णन की हूइ दलीलें अगर कोई खंडित कर देगा तो उसे दस हज़ार (१०,०००) रुपये का इनाम दिया जायेगा लेकिन आज तक वो चुनौती का किसी ने स्वीकार नहीं किया। वहाबी - तबलीगी जमाअत के अनूयायी दलीलों की रोशनी में इस किताब का जवाब देने में कायर पुरवार हुए हैं।

इस किताब में कुल १५ (पंदरह) दलीलों में आला हज़रत, इमाम अहमद रज़ा मोहदिषे बरेल्वी ने कुरआन, हदीष तथा बुज़ुर्गाने दीन के कथनो द्वारा जो स्पष्टता की है और क़ब्र पर अज़ान देना जाइज़ पूरवार किया है, उसका खंडन करने की अगर विरोधी दल में शकित है, तो वो कुरआन, हदीष तथा अइम्म - ए - दीन की आधारभूत किताबों की मज़बूत दलीलें पेश कर के आला हज़रत की दलीलों का खंडन कर दिखाओं।

दलील के मैदान में हमेशा पीठ बता कर भागने की आदत रखने वाले वहाबी - तबलीगी पंथ के अनूयायी इल्मी बहेश (चर्चा) से मुंह मोड कर सिर्फ हडधर्मी, ज़िद तथा गुंडागर्दी का मार्ग अपना कर सिर्फ "बिदअत है" - "बिदअत है" की रट लगाते हैं और अपने दावे को सत्य पुरवार करने के लिए लड़ाइ - झगडे का स्वरूप धारण कर के क़ब्र पर अज़ान देन से रोकने की चेष्टा करते हैं। जब उनसे पुछने में आता है कि जनाब। आप क़ब्र पर अज़ान देने से क्यूं रोकते हैं ? तो वो सिर्फ यही प्रत्युत्तर देते हैं कि ये विदअत है। और शरीअत में इस का कोई सुबूत नहीं है। इस के इलावा इन के पास अेक भी ऐसी दलील नहीं है कि जिस से पुरवार होता हो कि क़ब्र पर अज़ान देना "ना - जाइज़" तथा "मना" हो।

हाल में दिनांक ७-८-१९९६ से १२-८-१९९६ तक मैं महाराष्ट्र राज्य के परभनी जिल्ले के गंगाखेड, सायगांव, कंधार, मोमीनाबाद (अंबा जोगाइ) शहरों में तकरीर के प्रोग्राम पर गया था। यहां पर यही अज़ाने क़ब्र का मरअला विवादास्पद था। वहाबी - तबलीगी पंथ के अनूयायी इस

मस्अले के संदर्भ में जनूनी वलण अपनाए हुए थे और वातावरण गरम था । दिनांक ११-८-९६ तथा १२-८-९६ दो दिन मैं ने गंगाखेड में इस मस्अले पर अपनी तकरीर में गुफ्तगू की और क्रब्र पर अज़ान देना जाइज़ और मुस्तहब साबित किया और चुनौती भी दी के "ना - जाइज़" कहने वाले अपनी दलीलें पेश करें । हालांकि मज़लिस में बहुत सारे तबलीगी लोग थे लेकिन सब खामोश रहे । इस मज़लिस में आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा की ये किताब मैं ने रजू की थी और वचन दिया था कि इन्शाअल्लाह टूंक समय में इस को हिन्दी अनूवाद में प्रकाशन करेंगे । उस वचन (वादे) को 'वफ़ा' करते हुए ये किताब हिन्दी अनूवाद के स्वरूप में इस वक्त आप की सेवा में प्रस्तुत कर के आनंद की लागणी अनुभव कर रहा हूँ ।

अंत में वांचक वर्ग से नम्र विनंती है कि इस किताब का आरंभ से अंत तक एक चित्त से वाचन करने के बाद एकांत में इस पर चिंतन तथा मनन करके स्वयं अपने दिल से प्रश्न करें कि क्या ये नेक और मुस्तहब काम कभी "ना - जाइज़" हो सकता है ? तो खूद तुम्हारे दिल से यही आवाज़ आयेगी कि जाइज़ है ।.....बेशक जाइज़ है ।

जो लोग दफ़न के बाद क्रब्र पर अज़ान देने को मना और विदअत कहेते हैं, उनसे सिर्फ़ इतना ही कहेना है कि जो तुम अपने दावे में सच्चे हो तो इस किताब में रजू की गइ दलीलों को इस के जैसी ही मजबूत दलीलों द्वारा खंडित कर के दिखा दो । अन्यथा अधर्मी, पक्षपात तथा पुर्वग्रह जैसे दुषाणों को तिलांजली दे कर, सत्य का स्वीकार करने में एक पल का भी विलंब न करें । इसी में हमारे लिए दुनिया और आख़ेरत की भलाइ है ।

खुदा सब मुसलमानों को इमान की सलामती के साथ नेक अमल करने की तथा सत्य (हक) का स्वीकार करने की नेक तौफ़ीक अत्ता फ़रमाए ।

नागपूर

दि. २३-८-१९९६

'आमीन'

बारगाहे 'रजा' का अदना सवाली
अब्दुस्सतार हबीब हमदानी - पौरबंदर
(बरकाती - रज़वी - नूरी)

अज्ञाने - कब्र

सवाल :-

क्या फरमाते हैं ओलोमा - अ - दीन इस मरअले में कि दफन के समय कब्र पर जो अज्ञान कही जाती है, वो शरअन जाइज़ है या नहीं?

जवाब :-

“बिस्मिल्लाहिर्हमा निर्हीम”

“नहमदोहु - व - नुसल्ली - अला - रसूलेहिल - करीम”

कुछ ओलोमा - अ - दान नें कब्र में मैयत को रखने के समय अज्ञान देने को सुन्नत फरमाया है जैसे की अल्लामा इब्ने हज़र मक्की तथा अल्लामा खैरुल मिल्लते वदीन रमली ने अपनी किताब “शरहे अवाब” तथा “हासिया बेहरुरौक” में वर्णन किया है।

उपरोक्त प्रश्न में जिस अज्ञान के संदर्भ में पूछा गया है उस का जाइज़ होना निःशंक है। शरीअते मुतहहरा में उस के मना होने पर हरगिज़ कोई दलील नहीं। और जिस कार्य से शरीअत ने मना न किया हो, वो कार्य कदापी मना नहीं हो सकता। फ़कत यही एक दलील कब्र पर अज्ञान देना जाइज़ होने के लिए काफ़ी है। जो लोग कब्र पर अज्ञान देने को मना करते हैं, वह शरीअत से अपना दावा पुरवार कर दिखाएँ।

यहां दलीलों के मैदान में आ कर मैं अनेक दलीलों से कब्र पर अज्ञान के योग्य होने को शरीअते मुतहहरा से पुखार कर सकता हूं। निम्न में चंद दलीलें आप की सेवा में प्रस्तूत हैं।

दलील नं. १

प्रचलित है कि जब बन्दे को कब्र में रखा जाता है, और “मुनकर - नकीर” सवाल करते हैं, तब मरदुद - “शैतान” यहां भी विअैपु डालता है और जवाब देन में बेहकाता है।

इमाम तिरमिजी मुहम्मद इब्ने अली अपनी किताब “नवादेस्त

- **वुसूल** में इमामे अज़ल, हज़रत सुफ़ियाने सूरी (रहेमतुल्लाह अलैह) से रिवायत करते हैं कि :-

“जब मुर्देसे सवाल होता है कि “तेरा रब कौन है ?” तब शैतान आता है और अपने, प्रति इशारा करता है कि “मैं तेरा रब हूँ” ! इसी लिए हम को आदेश दिया गया है कि मैयत जवाब में सावित कदम (अडग) रहे इस लिए दुआ करनी चाहिये ।”

इमाम तिर्मिज़ी फरमाते हैं कि :-

ऐसी हदीषें समर्थन करती हैं कि जिन हदीषों में वर्णन है कि हूज़ूर सल्लल्लाहो अलैह वसल्लम मैयत को दफ़न करते समय दुआ करते थे कि “इलाही ! इसे शैतान से बचा ।” अगर जो क़ब्र में शैतान का दख़ल (हस्तक्षेप) नहीं है तो **सरकारे दो आलम** सल्लल्लाहो अलैह वसल्लम ने ये दुआ क्यों की ?

सहीह हदीषों से पुखार है कि अज़ान से शैतान दफ़ा (दूर) होता है ।

हदीष :- सहीह बुखारी तथा मुस्लिम विगरे में हज़रत अबू - हूरैरा रदीअल्लाहो तआला अन्होसे रिवायत है कि **हूज़ुरे अक़दस** सल्लल्लाहो तआला अलैह वसल्लम इरशाद फ़रमाते हैं कि :-

“जब मुअज़्ज़ीन अज़ान कहेता है तब शैतान अपनी पीठ घूमा कर वायू (हवा) छोड़ता हुआ भागता है”

हदीष :- सहीह मुस्लिम शरीफ की हदीष में हज़रत ज़ाविर रदीअल्लाहो अन्होसे रिवायत है कि **हूज़ुरे अक़दस** सल्लल्लाहो अलैह वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि :-

“जब अज़ान होती है तब शैतान छत्तीस (३६) माईल (मिल) तक दूर भाग जाता है ।”

हदीष :- इमाम अबूल कासिम सुलयमान इब्ने अहमद तिब्रानी ने अपनी मरहूर किताब “अवसते - मआजीम” में हज़रत अबू - हूरैरा रदीअल्लाहो अन्हो द्वारा पुरवार किया है कि हदीष में आदेश दिया गया है कि :-

“जब शैतान का ख़टका (संदेह) हो, तो तूरत ही अज़ान कहो, वह ख़टका दफ़ा (नष्ट) हो जायेगा ।”

मैं ने अपनी किताब “नरसीमुल - सब्बा - फी - अन्नल - अज़ाना - यहवेलुल - वबा” में इस संदर्भ की अनेक हदीषें वर्णन की हैं ।

जब यह पुरवार हो गया कि दफ़न के समय शैतान दख़ल देता है और अज़ान से शैतान भागता है । हदीष का आदेश है कि शैतान को दफा करने (भगाने) के लिए अज़ान कहो ।

तो यह अज़ान के जो क़ब्र पर देने में आती है, वह हदीषों से अनुमानित कर के ही दी जाती है, वल्के नबी के हुकम के मुताबिक है । यह अज़ान देने से मुसलमान भाई (मैयत) की मुनकर - नकीर के प्रश्नों के उत्तर देने में उमदा सहायता है और मुसलमान भाई की सहायता करने की कुरआन और हदीषों में बहुत प्रसंशा की गई है ।

दलील नं. २

हदीष :- इमाम अहमद, तिब्रानी तथा बयहकी हज़रत ज़ाबिर इब्ने अब्दुल्लाह रदीअल्लाहे अन्हो से रिवायत करते हैं कि :-

“जब हज़रत सअद इब्ने मआज़ रदीअल्लाहो अन्हो को दफ़न किया गया और क़ब्र बन्द कर दी गई, तब **सरकारे दो आलम** सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम बहुत समय तक “सुब्हानल्लाह । सुब्हानल्लाह ।” फरमाते रहे और सहाबाअे किराम भी हुज़ूर के साथ साथ सुब्हानल्लाह - सुब्हानल्लाह कहते रहे । इस के बाद हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहो अलैह वसल्लम “अल्लाहो अकबर । अल्लाहो अकबर” फरमाते रहे । और सहाबाअे किराम भी हुज़ूर के साथ साथ अल्लाहो अकबर - अल्लाहो अकबर कहते रहे । इस के बाद सहाबाअे किराम ने बारगाहे रिसालत में अर्ज़ की “**या रसूलल्लाह** आप ने आरंभ में “**तरबीह**” (सुब्हानल्लाह) और अंत में “**तकबीर**” (अल्लाहो - अकबर) फरमाया, इस का कारण क्या हय ? इरशाद फरमाया कि “यह नैक मर्द (हज़रत सअद) पर उनकी क़ब्र तंग हो गई थी, यहां तक के अल्लाह तआला ने उनसे यह तकलीफ दूर फरमा दी और क़ब्र को विशाल (चौडी) फरमा दी।

⊙ अल्लामा तिब्री “**शरहे मिश्कात शरीफ**” में फरमाते हैं कि हदीष का भावार्थ यह है कि मैं और तुम सब एक साथ मिल कर सतत “अल्लाहो - अकबर । अल्लाहो - अकबर” तथा “सुब्हानल्लाह ।

सुब्हानल्लाह” कहते रहे, यहां तक के अल्लाह तआला ने इन को तंगी से नज़ात अपर्ण की ।

वर्णनीय हदीष से पुरवार हुआ के सरकारे दो आलम सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम ने स्वयं “मैयत” पर आसानी हो इस आशय से दफ़न के बाद क्रम पर “अल्लाहो - अकबर । अल्लाहो - अकबर ।” सतत फरमाते रहे । यही शब्द “अल्लाहो - अकबर” अज़ान में छे (६) मरतबा है। पुरवार हुआ कि यह कार्य (क्रम पर अज़ान) सुन्नत के अनुरूप है । विशेष में अज़ान में इन शब्दों से कोई हानी नहीं और यह कार्य सुन्नत के विरुद्ध भी नहीं, बल्कि विशेष फायदा कारक है, क्यूं कि अल्लाह की रहमत के आगमन के लिए “ज़िक्रे - खुदा” करना था ।

यह तरीका अमीरुल मोअमेनीन हज़रत उमर फारुके आजम, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने ऊमर, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसअूद, हज़रत इमाम हसने मुजतबा तथा अन्य सहाबा रदीअल्लाहो अन्हुम अजमइन के तरीके के मुताबिक है ।

★ फिकह की आधारभूत किताब, “हिदाया” में है कि :-

“वर्णनीय शब्दों में कुछ भी कम न करना चाहिये, क्यूंकि हुजूर सल्लल्लाहो अलैहे, वसल्लम से इसी तरह वर्णन किया गया है, इस लिए उस में कोई शब्द कम न करना चाहिये, अलबत,, अगर उसमें विशेष शब्द मिलाने में आएं तो योग्य (जाइज़) है, क्यूंकि उस में खुदा की तारीफ और बंदगी का वर्णन है । और खुदा की तारीफ और बंदगी व्यक्त करने के लिए अन्य शब्दों का समावेश करना मना (निषेध) नहीं परंतु प्रसंशनीय है ।

मैं ने अपनी किताब “सिफाऊल - लज़ैन - फी - कवनिन - तसाफोहे - बे - क़फफिल - यदैन” में इन सब बाबतों का विस्तृत वर्णन किया है ।

दलील नं. ३

सुन्नत, हदीष ओर फिकह से पुरवार हय कि नज़अ (मृत्यु के समय) की हालत में मृतक के पास “ला - इलाहा - इल्लल्लाह” कहते रहेना चाहिये, क्यूंकी यह सुनकर उसको कल्मा याद आ जाओ ।

हदीष :- हदीषे मुतवातिर में अहमद, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, नसाई तथा इब्ने माज़ा ने हज़रत अबू सईद खुदरी, हज़रत अबू हुरैरा तथा उम्मुल मोअमेनीन हज़रत आअेशा (रदीअल्लाहो अन्हुम) से रिवायत करते

हैं कि हूजूरे अकदस सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम इरशाद फ़रमाते हैं
कि :-

**“तुम्हारे मुर्दा (मृतकों) को ”ला - इलाहा - इल्लल्लाह
सिरवाओ”**

★ जो शख़स (व्यक्ति) सकरात (मृत्यू का समय) की हालत में है, वह मुर्दे की तरह है। उसको कल्मा सिखाने की आवश्यकता इस लिए हय कि खुदा के फज़लो - करम से उसका खातमा (जीवन का अंत) कल्मे पर हो और वह शैतान के जाल में फंस कर भूलने और वहकने से सुरक्षित रहे।

तथा

★ जो शख़स दफ़न हो चुका है वह वास्तव में मुर्दा है। उसको कल्मा सिखाने की आवश्यकता इस लिए है कि खुदा के फज़लो - करम से उसे मुनकर - नकीर के सवालों का ज़वाब याद आ जाये और वह शैतान के वहेकाने से सुरक्षित रहे।

निःशंक ! अज़ान में कल्मा “ला इलाहा - इल्लल्लाह” तिन मरतबा है, बल्कि समग्र अज़ान के शब्द मुनकर - नकीर के सवालों के जवाब बताती है।

मुनकर - नकीर के तीन सवाल होते हैं।

१) मर्बूका - तेरा रब कौन है ?

२) मा - दीनोका - तेरा दीन कौन सा है ?

३) मा - कुन्ता - तक्ूलो - फी - हाज़ररजुले - तूं इस मर्द अर्थात् नबी सल्लल्लाहो अलैह के लिए क्या अकीदा रखता था।

★ अब ! अज़ान के आरंभ में :-

“अल्लाहो अकबर - अल्लाहो अकबर
अल्लाहो अकबर - अल्लाहो अकबर”

तथा.....

“अश्हदो - अल - ला - इलाहा - इल्लल्लाह
अश्हदो - अल - ला - इलाहा - इल्लल्लाह”

और अज़ान के अंत में :-

“अल्लाहो अकबर - अल्लाहो अकबर”
ला - इलाहा - इल्लल्लाह”

यह शब्द आते हैं। ये तमाम शब्द मुनकर नकीर के प्रथम प्रश्न “**मर्बुका**” (तेरा रब कौन है) का जवाब सिखायेंगे। यह शब्द सुनकर याद आयेगा के **मेरा रब अल्लाह है**।

★ अज्ञान में यह शब्द भी हंग्य कि :-

“हय्या अलस्सलाह - हय्या अलस्सलाह
हय्या अल्लफलाह - हय्या अल्लफलाह”

ये शब्द मुनकर - नकीर के दूसरे सवाल “**मा - दीनोका** (तेरा दीन (धर्म) क्या है) का जवाब सिखायेंगे। यह शब्द सुनकर याद आयेगा कि मेरा दीन वो था, जिस में नमाज़ दीन का रुकन और पाया था। “**अस्सलातो - इमादुद - दीन**” (अर्थात : नमाज़ दीन का स्थंभ है - हदीष -)

★ अज्ञान के मध्य में है कि :-

“**अशहदो - अन्ना - मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह**
अशहदो - अन्ना - मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह”

ये शब्द मुनकर - नकीर के तीसरे सवाल “**मा - कुन्ता - तकूलो - फी - हाज़र - रजूले**” का जवाब सिखायेंगे, यह शब्द सुन कर याद आयेगा के मैं **इन को अल्लाह का रसूल समझता था**।

तो पुरवार हुआ कि दफ़न के बाद अज्ञान देना, इरशादे नबी का पालन है। जिस का वर्णन हुज़ुरे पाक सल्लल्लाहो अलैह वसल्लम ने हदीषे - मुतवातिर में किया है।

यहां पर एक प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि मुर्दे को सिखाने के लिए अगर अज्ञान कइने में आती है, तो मुर्दा किस तरह (क्यूँ) सुन सके ? इंसं, प्रश्न का विस्तृत उत्तर मेरी किताब “**हयातुल - मवाल - फी - बयाने - सिमाइल - अमवात**” में मौजूद हय। इस किताब में मैं ने पच्चहत्तर (७५) हदीष तथा तीन सौ पच्चहत्तर (३७५) बुर्हुगाने - दीन के कथनो द्वारा पुरवार किया है कि मुर्दे का सुनना, देखना, समझना यह सब सत्य और हक है।

दलील नं. ४

हदीष :- अबू - यअला, हज़रत अबू हुरैरा रदीअल्लाहो अन्हो से रिवायत करते हैं कि हुज़ूरै अकदस सल्लल्लाहो अलैह वसल्लम फरमाते हंय कि :-

“ऊत्फेऊल - हरीका - बित्तकबीरे” अथाँस :- आग को तकवीर से बुझाओ”

हदीष :- इब्ने अदी, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से तथा हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास तथा इब्नु स्सुन्नी इब्ने असाकिर हज़रत अब्दुलल्लाह इब्ने अम्र इब्ने आस (रदीअल्लाहो अन्हुम) से रिवायत करते हैं कि **हुज़ूर पुर नूर** सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम फरमाते हैं कि :-

“जब आग देखो तब ‘अल्लाहो - अकबर’ अतिशय कहते रहो, के वो आग को बुझा डालता हय”

अल्लामा मनावी, “तफ़रीर जामए सगीर” में फरमाते हैं कि तकवीर कहे यानी खुब ‘अल्लाहो अकबर - अल्लाहो अकबर’ कहो, क्यूँकि ऐसा करने से आग बुझ जायेगी ।

मुल्ला अली कारी अलैहे रहमतुल बारी, इस हदीष की शरह (अनुसंधान) में फरमाते हैं कि **हुज़ूरै अकदम** सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम क़ब्र पर बहुत समय तक अल्लाहो - अकबर कहेते रहे वह हदीष ओर यह हदीष कि जिस में आग देख कर तकवीर कहेने का वर्णन है, यह दोनों हदीषों का आदेश व आशय ‘गज़बे इलाही’ यअने खुदाई क्रोध को शांत करने के लिए है । इसी कारण अग्नि देख कर तकवीर (अल्लाहो - अकबर) कहेना मुस्तहब है ।

आधारभूत किताब ‘वसीलतुन्नजात’ में “हरतुल फिकह” से हवाला से उल्लेख है कि :- कब्रस्तान वालों पर तकवीर कहने में हिक्मत है कि **रसूले अकरम** सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम का इरशाद है कि “इज़ा - रअयतुमुल - हरीका - फ - कब्बेरु” अर्थात आग लगे और तुम अपने हाथों से उसे बुझा न सको तो तकवीर कहो, क्यूँकि तकवीर की वरकत से आग बुझ जायेगी । तो क़ब्र का अज़ाब

भी आग से होता है और उसे हम हमारे हाथों से बुझा नहीं सकते, इस लिए तकवीर कहनी चाहिये, कि तकवीर के कारण दोज़ख (नर्क) की आग से छुट कारा प्राप्त हो ।

यहाँ पर पुरवार हुआ कि मुसलमान की कब्र पर तकवीर (अल्लाहो अकबर - अल्लाहो अकबर) कहेना एक प्रकार की सुन्नत ही है । तो कब्र पर अज़ान देना भी सुन्नत के अनुरूप ही है । अज़ान में अल्लाहो अकबर के इलावा जो विशेष शब्द हैं वह मना नहीं वल्कि फायदाकारक है जिस का वर्णन दलील नं. २ में हो चुका है ।

दलील नं. ५

हदीष :- इब्ने माजा तथा वयहकी ने सईद इब्ने मुसय्यद से रिवायत किया कि :-

“मैं हजरत अब्दुल्लाह इब्ने ऊमर के संग एक जनाज़ा में गया । जब मैयत को कवर में रखा गया तब हजरत अब्दुल्लाह इब्ने ऊमर ने कहा कि “**बिस्मिल्लाहे - व - फी - सबिलिल्लाहे**” और जब कब्र बन्द करने लगे तो दुआ की कि “इलाही ! इसे (मृतक को) शैतान से बचा और कब्र के अज़ाब से सुरक्षित रख । इस के बाद **हजरत अब्दुल्लाह इब्ने ऊमर** ने फरमाया कि यह मैं ने **रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम** से सुना है ।

⊕ इमाम तिमिज़ी, अम्र इब्ने मुरा तावई से रिवायत करते हुंय कि जब मैयत को कब्र में रखा जाता तब सहाबा - अ - किराम तथा तावइन यह हुआ करने को मुस्तहब समझते थे कि “**इलाही ! इसे शैतान से पनाह दे**”

⊕ इब्ने अली शयवा के जो इमाम बुखारी तथा इमाम मुस्लिम के ऊस्ताद हुंय, वह अपनी “**मुसन्नफ**” में हजरत खयसमा से रिवायत करते हैं कि सहाबा - अ - किराम जब किसी मैयत को दफन करते तब ये दुआ करने को मुस्तहब समझते थे कि “अल्लाह के नाम से अल्लाह की राह में, **रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम** की मिल्लत पर, इलाही ! इसे (मैयत को) अज़ाबे कब्र, दोज़ख तथा मलऊन शैतान से पनाह दे”

वर्णनीय हदीषों से पुरवार हुआ कि वह समय यानी दफनके तूरंत बाद का समय शैतान की दखलगिरी का समय है और शैतान को दफे

(दूर) करना सुन्नत है । दलील क्रमांक नं. २ से पुरवार हो चुका है कि शैतान को दूर करने के लिए अज्ञान देना उत्तम तरीका है । तो सिध्द हुआ कि कब्र पर अज्ञान देना शरीअत के मुताबिक है ।

दलील नं. ६

हदीष :- अबू दाऊद, हाकिम तथा बयहकी ने अमीरुल मोअमेनीन हज़रत ऊरमान गनी रदीअल्लाहो अन्हो से रिवायत किया कि :-

“जब मुर्दे को दफ़न कर देते थे ये तब कब्र के पास खड़े रहते और सहाबा - अ - किराम से फ़रमाते कि तुम्हारे भाई के लिए दुआ करो कि नकीरैन के जवाब देने में षाबित कदम (अडग) रहे, क्युंकि अब उस से सवाल होगा ।”

हदीष :- सईद इब्ने मन्सूर ने अपनी 'सूनन' में हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मरऊद रदीअल्लाहो अन्हो से रिवायत किया कि :-

“जब मुर्दे को दफ़न करने के बाद कब्र बराबर बद कर देने में आती तब हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम कब्र के पास खड़े हो कर दुआ मांगते के इलाही । हमारा ये साथी तेरा मेहमान हुआ है और दुनिया को अपनी पीठ के पीछे, छोड़ कर आया है । इलाही ! सवाल (नकीरैन के सवाल) के समय इस की ज़बान को दुरुस्त (ठीक) रख और कब्र में उस पर ऐसी बलाअें (आज़माइश) मत डाल कि जिसे सहन करने की उस में शकित न हो ।”

वर्णनीय हदीषों तथा दलील क्रमांक - ५ द्वारा पुरवार हुआ कि दफ़न के बाद दुआ करना सुन्नत है ।

⊛ इमाम मुहम्मद इब्ने अली हकीम तिर्मिज़ी दफ़न के बाद दुआ करने की हिकमत (फ़ायदा) के अनुसंधान में फ़रमाते हंय कि :- “जनाज़ा की नमाज़ का जमाअत के साथ मुस्लीमों का पढ़ना, उसके लिए यह दृष्टांत है कि अेक लश्कर (सेना) बादशाह के द्वार पर भलामण ओर क्षमा भी विनंती के लिए हाज़िर हुआ है । और कब्र के पास खड़े होकर मैयत के लिए हुआ करना ऐसा है कि अब वह सेना मैयत की सहायता कर रही है। क्युंकि वह समय कहीन है । कब्र के अन्जाने वातावरण में स्थायी होना और

नकीरैन के सवालों के जवाब देने का अवसर है ।

(हवाला :- “शरहुरसुदूर”, लेखक :- इमाम जलालुद्दीन सुयूती)

अब मैं नहीं सोच सकता कि विश्व में कोई ऐसी भी व्यक्ति हो, जो दुआ का मुस्तहब होना स्वीकार न करें ।

★ इमाम आजेरी फ़रमाते हैं कि दफ़न के बाद थोड़ी देर के लिए खड़ा रहना और मैयत के लिए दुआ करना मुस्तहब है ।

इसी प्रकार का वर्णन इस्लामी साहित्य की मशहूर तथा विश्वसनीय किताबें जोहरा, नय्येरा, दुर्रे मुखतार तथा फ़तावा आलमगिरी में उपलब्ध है ।

★ आश्चर्य तो इस बात पर है कि कब्र पर अज़ान देने की मनाई करने वाले वर्ग के इमामे षानी (दूसरे इमाम) यानी मोल्वी इरहाक दहेल्वी ने अपनी किताब “मिअता - मसाइल” में दफ़न के बाद कब्र के पास खड़े रहे कर दुआ मांगने के संदर्भ में फतहुल कदीर, बेहरुराँइक, नेहरुल - फाइक और फ़तावा आलमगिरी जैसी किताबों से सिध्द किया है कि “कब्र के पास खड़े रहकर दुआ मांगना सुन्नत से साबित है ।”

परंतु.....

वह मोल्वी साहब इत्ना न समझ सके कि अज़ान भी दुआ है, बल्कि उत्तम दुआ है । क्योंकि अज़ान ज़िक्र इलाही है और हर ज़िक्र दुआ है। तो अज़ान भी पुरवारित सुन्नत का अेक भाग पुरवार हुई ।

मुल्ला अली कारी अलैहे रहमतुल बारी “मिरकात शरहे, मिरकात” में फरमाते हैं कि :- “कुल्लो - दुआ - ज़िकरुन - व - कुल्लो - जिकरिन - दुआ” अर्थात् हर दुआ ज़िक्र है और हर ज़िक्र दुआ है ।

हदीष :- हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह रहीअल्लाहो अन्हो से रिवायत है कि :- “अफ़ज़लुद - दुआअे - अल - हम्हो - लिल्लाह” अर्थात् सब दुआओं में अफ़ज़ल (उत्तम) दुआ अलहम्हो लिल्लाह है । (तिर्मिज़ी)

हदीष :- सहीहैन में है कि अेक प्रवास में लोगों ने बड़ें बड़ें आवाज़ से ‘अल्लाहो - अकबर, अल्लाहो - अकबर’ कहेना शुरु किया । नबी-अे-करीम सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम ने फ़रमाया, लोगों । अपनी जानों

पर नरमी करो । तुम किसी बहेरे या गैर हाज़िर से दुआ नहीं करते परंतु सुनने वाले और देखने वाले (रब) से दुआ करते हो ।

देखो ! उपरोक्त दोनों हदीषों में हुजूर सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम ने “अल हम्दो लिल्लाह” तथा “अल्लाहो अकबर” ये दोनों कल्मों (शब्दों) को ‘दुआ’ कहा है । तो अब अज़ान के दुआ तथा सुन्नत होने में क्या शंका रही ?

दलील नं. ७

ये तो सिद्ध हो गया कि दफ़न के बाद मैयत के लिए दुआ मांगना सुन्नत है । ओलोमा फरमाते हंय कि दुआ मांगने के तरीके में यह भी है कि दुआ से पहले कोई नेक अमल कर लेना चाहिये ।

★ इमाम शम्सुद्दीन मुहम्मद इब्ने बज़रीन की किताब “हिरज़े - हसीन” में है कि दुआ मांगने से पहले कोई नेक अमल करना यह दुआ के आदाब में से हैं । अल्लामा अली कारी अपनी किताब “हिरज़े समीन” में फरमाते हैं कि इस हदीष को अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्ने माजा तथा इब्ने हब्बान ने हज़रत अबुबकर सिद्दीक रहीअल्लाहो अन्हो से रिवायत करना साबित है ।

इस बात में शंका नहीं कि अज़ान ‘नेक - अमल’ है, दफ़न के बाद दुआ मांगी जाती है और दुआ के मांगने से पहले ‘नेक अमल’ (अज़ान) करना सुन्नत के मुताबिक है ।

दलील नं. ८

हदीष :- अबू दाऊद, इब्ने हब्बान तथा हाकिम ने हज़रत इब्ने सअदस्साअेदी रदीअल्लाहो अन्हो से रिवायत किया कि :-

“रसूल अकरम सल्लल्लाहो अलैहे, वसल्लम ने फ़रमाया हय कि “खिनताने - ला - तूरददाने - अद - दुआओ - इन्दल - निदाअे - य - इन्दल - बासे” अर्थात दो दुआओं रद नहीं होतीं, एक अज़ान के समय और दूसरी जेहाद में, के जब काफ़िरों से जंग (युद्ध) हो रही हो ।

हदीष :- अबू यअला, हाकिम, अबू दाऊद तथा अन्यो ने हज़रत अनस इब्ने मालिक रदीअल्लाहो अन्हो से रिवायत किया कि :-

“हुजूरे अकदस सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम फ़रमाते हैं ”इज़ा - नादल - मुनादी - फ़ोतेहत - अब्बाबस - समाअे - व - उरतोजीबद - दुआ“ अर्थात - जब अज़ान देनेवाला अज़ान देता है, तब आसमान के दरवाज़े खोल दिये जाते हंय और दुआ क़बूल होती है।”

उपरोक्त दोनों हदीषों से पुरवार दुआ कि अज़ान देने से दुआ क़बूल होती है दफ़न के बाद अल्लाह से दुआ मांगनी होती है, तो दुआ क़बूल हो ऐसा काम करना (यानी के अज़ान देना) बहुत ही अच्छा काम है।

दलील नं. ९

हदीष :- इमाम अहमद तिब्रानी, अबू दाऊद, नसाई इब्ने माजा, खुजैमा, इब्ने हब्बान विगेर ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर, अबू हुसैरा, बरा इब्ने आज़िब, अबी ऊमामा तथा अनस इब्ने मालिक कुल पांच (५) सनदों से रिवायत किया कि :-

“रसूले अकरम सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम फ़रमाते हंय कि “जहां तक अज़ान की आपाज़ जाती है ऊतने अंतर (चोडाई) जितनी मगफ़ेरत मोअज़्ज़ीन के लिए आती है और जो भी सूखी (खुश्क) और लीली (तर) वस्तु तक अज़ान की आवाज पहुंचती है, वो तमाम वस्तुएं उस अज़ान देनेवाले के लिए मगफ़ेरत मांगती हंय।”

वर्णनीय हदीष से साबित हुआ कि जिस व्यक्ति की अज़ान देने के कारण मगफ़ेरत कर देने में आई हो, उस व्यक्ति की दुआ शीघ्र होती है। और हदीषों में वर्णन है कि मगफ़ुरो से दुआ करानी चाहिये

हदीष :- इमाम अहमद 'मुस्तनद' में हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने ऊमर रदीअल्लाहो तआला अन्हुम से रिवायत करते हैं कि :-

“हुजूरे अकदस सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम इरशाद फ़रमाते हंय कि “जब तू हाजी से मिल तो उसे सलाम कर और उस से हाथ्य़ मिला और वो हाज़ी अपने घर में दाख़िल हो, इस के पहले उस से अपने लिए मगफ़ेरत की दुआ करा, क्युंकि वो बख़श दिया गया है।”

इसी तरह दफ़न करने के बाद किसी नेक बंदे से अज़ान दिलानी चाहिये, ताकि हदीष के हुकम अनुसार (इन्शाअल्लाह) उस अज़ान कहेने वाले की मगफ़ेरत होगी, इस के बाद वो अज़ान कहेने वाला मयैत के लिए हुआ करे, क्युंकि मगफ़ूर (बख़शा हुआ) की दुआ ज़्यादा क़बूल होती है। तो

इस तरह करने में कोन सा गुनाह है ?

दलील नं. १०

अज्ञान ज़िक्रे इलाही है और हर ज़िक्रे इलाही अज़ाब को रोकता है ।

हदीष :- इमाम अहमद ने मआज़ इब्ने जबल से तथा इब्ने अबीददुनिया तथा बयहक़ी ने इब्ने उमर रदीअल्लाहो तआला अन्हुम से रिवायत करते हंय कि :-

“हुज़ूरे अक़दम सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम इर्शाद फ़रमाते हंय कि “अल्लाह के ज़िक्र से बढ कर कोई भी चीज़ अज़ाब इलाही से बचाने वाली नहीं ।”

हदीष :- कबीर में हज़रत मा'कल इब्ने यसार रदीअल्लाहो तआला अन्हो की हदीष में बयान किया गया है कि :-

“हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम फ़रमाते हंय कि “जिस जग़ह (स्थान) पर अज्ञान कही जाती है, उस जग़ह को अल्लाह तआला उस दिन के लिए अज़ाब से सुरक्षित रखता है ।”

तो पुरवार हुआ कि अपने मो'मीन भाई के लिए ऐसा अमल (कार्य) करना के जो अमल उस मो'मीन भाई को अज़ाब से बचाता हो, तो वो अमल निःशंक अल्लाह और रसूल को अति प्रिय है ।

★ मुल्ला अली क़ारी अलैहे रहमतुल बारी, अपनी मशहूर किताब “शरहे - अयनुल - इल्म” में कब्र के पास कुरआन पढ़ने, तस्बीह पढ़ने तथा दुआअे रहेमत व मगफ़ेरत करने की वसीयत कर के फ़रमाते हंय कि “फ़ - इन्नल - अज़कारा - कुल्लोहा - नाफ़ेअतुन फ़ी - तिलकद - दार” यानी जितने ज़िक्र हंय वो मैयत को कब्र में फ़ायदा पहुँचाते हंय ।

इमाम बदरुद्दीन महमूद अपनी किताब “अयनी शरहे सहीह बुख़ारी में कब्र के पास हदीष बयान करने के प्रकरण में फ़रमाते हंय कि मैयत के लिए लाभ कर्ता है कि मुसलमान उस की कब्र के पास जमा हों और कुरआन शरीफ़ की तिलायत तथा ज़िक्र करें, उस से मैयत को फ़ायदा (सवाब) होता है ।

तो कब्र पर अज्ञान देने की मनाइ करने वाले इस पर सोचे कि

कब्र पर अज्ञान देना क्या ज़िक्र नहीं ?

या.....फिर.....मैयत को सवाब मिले ये उन्हें अच्छ नहीं लगता ।

दलील नं. 99

“अज्ञान” ज़िक्रे मुस्तफा है और **मुस्तफा** सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम का ज़िक्र करने से रहमत नाज़िल होती है । क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम का ज़िक्र वास्तव में ‘ज़िक्रे - खुदा’ है ।

❖ इमाम इब्ने अत्ता तथा इमाम क़ाजी अयाज़ विगेरे महान इमामों ने कुरआन शरीफ़ की आयत “**व - रफ़अना - लका ज़िकरक**” की तफ़सीर में फरमाते हंय कि :-

“**ए महेबूब ! (सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम) मैं ने आपको अपनी यादों में से अेक याद बनाया है और जो आप का ज़िक्र करता है, वो हक़ीक़त में मेरा ही ज़िक्र करता है ।**

विशेष में.....निःशंक, ज़िक्रे इलाही की वजह से रहमत नाज़िल होती है, क्योंकि ज़िक्र करनेवालों के बारे में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम फ़रमाते हैं कि :-

हदीष :- “फरिश्ते उस ज़िक्र करनेवाले को घेर लेते हैं और खुदा की रहेमत उन को ढांक (छूपा) लेती है, और उन पर चैन और शांति उतारने में आती है । (मुस्लिम, तिर्मिज़ी)

विशेष में.....

खुदा के प्रत्येक नेक बंदे के ज़िक्र के पास खुदा की रहेमत नाज़िल होती है ।

❖ इमाम सुफ़यान इब्ने ऊययना रहमतुल्लाहे तआला अलैहे फ़रमाते हंय कि “**इब्दा - ज़िकरिरसालेहीना - तनज़ज़लूल रहमतो**” अर्थात “नेक लोगों का ज़िक्र करने से खुदा की रहेमत नाज़िल होती है ।”

उपरोक्त कथन को अबू जाफ़र इब्ने हम्दान ने हज़रत अबू अग्र इब्ने नजीद से वर्णन कर के फ़रमाया कि “**फ़ - रसूलुल्लाहे - सल्लल्लाहो - अलैहे - वसल्लमा - रासुस - सालेहीना**”

अर्थात् - रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम तमाम सालेहीन (नेक लोगों) के सरदार हैं ।”

लेहाजा.....जहां कहीं भी अज्ञान कही जायेगी वहां ‘रहमते - इलाही’ का आगमन होगा और मुसलमान भाई के लिए ऐसा काम करना कि जिस के कारण रहमत नाज़िल हो, ऐसा काम (क़ब्र पर अज्ञान) करने की शरीअत में मनाई करने में नहीं आई परंतू ऐसा काम पसंद किया गया है ।

दलील नं. १२

ये सर्व मान्य हक़ीक़त भी है और हदीषों में भी आया हैकि मुर्दे को उस तंग तथा अंधकारमय मकान (क़ब्र) में सरवत गभराहट होती है तथा डर भी लगता है । अज्ञान देने से गभराहट और डर दूर होता है और शांति प्राप्त होती हैं, क्युंकि अज्ञान ज़िक्रे खुदा है । अल्लाह तबारक व तआला फ़रमाता है कि :-

“अला - बे - ज़िकरिल्लाहे - तल्मइन्नूल - कुलूब”

अर्थात्

“ सुनलो, अल्लाह का ज़िक्र करने से दिलों को शांति मिलती है ।”

★ अबू नइम तथा इब्ने असाकिर ने हज़रत अबू हु़रैरा रदीअल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत किया कि सरवरे आलम सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम फ़रमाते हंय कि :-

“जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जन्नत से हिन्दुरस्तान की धरती पर आगमन हुआ और उन्हें सरवत गभराहट हुई, तो हज़रत ज़िब्रइल अलैहिस्सलाम ने आकर अज्ञान दी ।”

तो जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की गभराहट दूर करने के लिए खुद हज़रत ज़िब्रइल ने अज्ञान दी, तो अगर हम क़ब्र में बेचैनी का अनुभव करने वाले हमारे मुर्दे की बेचैनी और गभराहट को दूर करने के नेक इरादे से अज्ञान देते हंय, इस में कौन सी बुराई है ?

वल्कि.....

ऐसे निःसहाय मुर्दों की सहायता करने को अल्लाह तआला बहुत पसंद फ़रमाता है ।

हदीष :- इमाम मुस्लिम, अबू दाऊद, तिर्मिजी, इब्ने माजा तथा हाकिम नेवेहज़रत अबू हुरैरा (रदीअल्लाहो तआला अन्हुम) से रिवायत करते हंय कि **हुज़ूरे अकदस सल्लल्लाहो अलह वसल्लम फ़रमाते हंय कि :-**

“अल्लाह तआला बन्दे की मदद में है, जब तक बन्दा अपने मुसलमान भाई की मदद में है ।”

हदीष :- शयख़ैन तथा अबू दाऊद ने हज़रत इब्ने उमर रदीअल्लाहो तआला अन्हुम से रिवायत किया कि हुज़ूर अकदस सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम इर्शाद फ़रमाते हंय कि :-

“जो शख़्स अपने मुसलमान भाई की हाजत पूरी करने में रहता है, तो अल्लाह तआला उसकी हाजत पूरी करता है और जो किसी मुसलमान की तकलीफ़ दूर करता है तो उस के बदले में अल्लाह तआला कयामत के दिन की मुसीबतों में से अेक मुसीबत दूर फ़रमावेगा ।”

दलील नं. १३

★ मुस्नदूल फ़िरदौस में हज़रत अमीरुल मोअमेनीन सय्येदेना अली मुर्तेज़ा रदीअल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत करते हंय कि :-

“अेक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम ने मुझे गमगीन देखा । आप ने मुझ से इरशाद फ़रमाया कि ए अली । मैं आपको गमगीन देख रहा हूं । आप अपने घर वालों में से किसी को कहो कि वों तुम्हारे कान में अज़ान कहे, क्युंकि अज़ान गमगीनी को दूर करती है ।”

★ **“मिशकात”** में अल्लामा इब्ने हजर से वर्णन करते हंय कि हज़रत अली तथा हज़रत अली तक के जितने भी इस हदीष के रावी (वर्णनकर्ता) हंय, वो सब फ़रमाते हंय कि **“फ़ - जरबतोहू - फ - वजदत्तोहू - क - जालेका”** अर्थात मैं ने इस को आजमा कर देखा तो उसी मुताबिक अनुभव किया यानी कि गमगीनी के समय अज़ान देने से गमगीनी दूर हो गई ।”

हदीषों से पुरवार है कि उस वक्त यानी की दफ़न के तूरंत बाद

मैयत गमगीनी और परेशानी की हालत में होता है, तो मैयत की गमगीनी और परेशानी दूर करने के लिए अगर अज्ञान देने में आये तो क्या शरीअत में इस की मनाइ है ? नहीं बल्कि फ़र्ज़ अमलों के बाद मुसलमान भाई का दिल खुश करने जैसा कोई अमल खुदा के नज़दीक प्रिय नहीं ।

हदीष :- तिब्रानी ने मोअज़्ज़म कबीर तथा मोअज़्ज़म अवसत में हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदीअल्लाहो तआला अन्हुमा से रिवायत करते हंय कि :-

“फ़र्ज़ों के बाद के अमलों में मुसलमान का दिल खुश करना अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा प्रिय है ।”

हदीष :- इमाम इब्नुल इमाम, सयैदना हसने मुजतबा रदीअल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत है कि **सरकारे दो जहाँ सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम इर्शाद फ़रमाते हंय कि :-**

“तुम्हारे मुसलमान भाई का दिल खुश करने से मगफ़ेरत की प्राप्ति होती है ।”

दलील नं. १४

अल्लाह तबारक व तआला कुरआन शरीफ़ में फ़रमाता है :-

“या - अय्युहल - लज़ीना - आमनूज - कुरुल्लाहा - ज़िकरन - कषीरा”

अर्थात्

“ए इमानवालो । अल्लाह का ज़िक्र खुब करो ।”

हदीष :- अहमद, अबू यअला, इब्ने हब्बान, हाकिम तथा बयहकी ने हज़रत अबू सईद खुदरी रहीअल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत किया कि :

“अकषरु - ज़िक्रल्लाहे - हत्ता - यकूलू - मज़नु - नल्लाहे” यानी अल्लाह का ज़िक्र इत्ना ज़्यादा करो के लोग तुम्हे अल्लाह का मजनु कहें ।”

हदीष :- कबीर में तिब्रानी ने हज़रत मआज़ इब्ने जबल रदीअल्लाहो अन्हो से रिवायत किया कि **नबीये करीम सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम फ़रमाते हंय कि “ऊज़कुरुल्लाह - इन्द्या - कुल्ले - हज़रिप -**

प - शज़रिन” यानी हर पथ्थर और वृक्ष के पास अल्लाह का ज़िक्र करो ।

⊛ हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदीअल्लाहो तआला अन्हो फरमाते हंय कि अल्लाह तआला ने भी फ़राइज़ मुकररर किये हैं, उन तमाम की हद है और मजबूरी की हालत में बन्दों को माफ़ी भी दी है, लेकिन ज़िक्र के लिए अल्लाह ने कोई हद नहीं मुकररर की के वो पुरा हो और किसी को भी उसका त्याग करने की परवानगी नहीं दी. अलवत्त, उन लोगों को ही फ़क्त माफ़ी दी गई है कि जिन की अकलें (बुद्धि) सलामत न हों । अल्लाह तआला ने बन्दे को आदेश दिया है कि हर दाल में उसका ज़िक्र करे ।

⊛ हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास के शगिर्द हज़रत इमाम मुजाहिद फ़रमाते हंय कि “**अज़ - ज़िकरुल - कसीरो - अन - ला - युतनाही - अबदन**” यानी “ज़िक्रे कसीर वो है जो कभी ख़तम न हो”

उपरोक्त वर्णन द्वारा पुरवार हुआ कि हर जगह अल्लाह का ज़िक्र करना ऊमदा और प्रिय बात है । और जब तक शरीअत में उसके करने की मनाई न आइ हो, वहां तक उसके करने से दरग़िज़ मना नहीं कर सकते । अज़ान भी “**ज़िक्रे - खुदा**” है और ज़िक्रे खुदा से मना करने का कारण क्या है ? बल्कि यहां तक हुकम है कि हर पथ्थर ओर पेड़ (वृक्ष) के पास खुदा का ज़िक्र करो तो क्या मुसलमान मो'मीन की क़ब्र के पथ्थर इस हुकम से वाद कर दिये गए हंय ?

दफ़न के बाद खुदा का ज़िक्र करना हदीषों से सावित है, और अइम्मअे-दीन के कथन अनुसार मुस्तहब है । इमामे अजल, अबू सुलयमान ख़त्ताबी क़ब्र के पास खड़े हो कर, “तलकीन” करने के अनूसंधान में फ़रमाते हंय कि” हमें इस के वारें में कोई मशहूर हदीष प्राप्त नहीं परंतू ऐसा करने में कोई हरज (बाध) नहीं है, क्युंकि इस में खुदा का ज़िक्र करना है, जो बहूत ही ऊमदा बात है ।

दलील नं १५

हज़रत इमामे - अजल, अबू ज़करिया नववी, शारेह सहीह मुस्लिम क़िताबूल - अज़कार में फ़रमाते हंय कि :-

“**मुस्तहब है कि दफ़न करने के बाद क़ब्र के पास**

इतनी दैर बैठना कि उस समय दरमियान एक ऊँट जुबह (हलाल) कर के उसका गोश्त (मांस) वितरण (तक्रसीम) कर दिया जाये । और उस समय दरमियान कब्र के पास बढ़ने वाले तिलावते कुरआने पाक, मैयत के लिए दुआ, वअज़, नसीहत, नैक बंदों के ज़िक्र तथा हिदायत में व्यस्त रहें ।

★ शयख मोहकफ़िक्र मौलाना अब्दुल हक़ मोहदिषे दहेल्वी (कुदेसा सिररहु) अपनी किताब “लम्आत शरहे, मिश्कात” में अमीरुल मोअ्मेनीन हज़रत उरमान गनी रदीअल्लाहो अन्हो द्वारा रिवायत की गई हदीष (जो दलील नं. ६ में प्रस्तुत की गई है) के अनूसंधान में फ़रमाते हंय कि विश्वास के साथ मैं ने अनेक आलिमां से सुना है कि “दफ़न करने के बाद क़ब्र के पास कोई फ़िकही - मरअला बयान करना मुस्तहब है ।

“अशअतुल - तम्आत” शरहे मिश्कात (फ़ारसी) में शाह अब्दुल हक़ मोहदिषे दहेल्वी उसका कारण ये बताते हंय कि “बाइसे - नुज़ूले - रहेमत - अरस्त” यानी “इस के कारण रहेमत नाज़िल होती है ।”

विशेष में.....

★ वो फ़रमाते हंय कि “फ़र्ज मरअला बयान करना मुनासिब है”

★ ओरे वो फ़रमाते हंय कि “अगर कुरआन शरीफ़ का ख़त्म करने में आये तो ज़्यादा उत्तम है”

वर्णनीय दलील से पुरवार हुआ कि ओलोमाअे किराम ने क़ब्र के पास नेक बंदों का ज़िक्र, सालेहीन का वर्णन, कुरआन शरीफ़ का ख़त्म, फ़िकह के मसाइल तथा फ़राइज़ के वर्णन कर ने को मुस्तहब पुरवार किया है । इस की वजह (कारण) सिर्फ़ इत्नी है कि मैयत को रहेमत की हाजत होती है और उपरोक्त कामों के करने से रहेमत नाज़िल होती है । हदाषों में है कि ‘अज़ान’ देने से रहेमत नाज़िल होती है । तो जब वर्णनीय काम मुस्तहब हंय, तो क़ब्र के पास अज़ान देना किस वजह से मुस्तहब नहीं ?

अल्हम्दोलिल्लाह । यहां तक कुल पंदरह (१५) दलीले पूरी हुआँ

और क़ब्र पर अज़ान देने का सुबूत मिला ।

महत्व की नसीहतें

नसीहत नं. १

उपर वर्णन की गई दलीलें पढ़ने के बाद वांचक वर्ग खुदा की महान नेअमत के बारे में सोचें कि क़ब्र पर अज़ान देने से मैयत को और अज़ान देने वाले को कितने फ़ायदे होते हैं ।

क़ब्र पर अज़ान देने से मैयत को सात (७) फ़ायदे होते हैं ।

- १) अल्लाह की मदद से शैतान के फ़रैब से पनाह मिलेगी ।
- २) 'तकवीर' (अल्लाहो अकबर) कहने की बरकत से अज़ाब से अमन मिलेगा ।
- ३) मुनकर - नकीर के सवालों के जवाब याद आ जायेंगे ।
- ४) 'अज़ान' (ज़िक्र) के कारण क़ब्र के अज़ाब से नजात मिलेगी ।
- ५) हुजूरे अकदस सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम के ज़िक्रे पाक की बरकत से रहेमत नाज़िल होगी ।
- ६) अज़ान की बरकत से क़ब्र की गभराहट दूर होगी ।
- ७) अज़ान की बरकत से ग़म (रंज) दूर होगा और खुशी तथा शांति मिलेगी ।

क़ब्र पर अज़ान देनेवाले को कुल पंदरह, (१५) फ़ायदे होते हंय ।

अज़ान देनेवाले को कुल पंदरह, (१५) फ़ायदे इस तरह होते हैं, सात (७) फ़ायदे तो उपर वर्णन किये । जो मैयत को होते हैं और वही सात फ़ायदे अज़ान देनेवाले और ज़िक्र करने वाले जिन्दा लोगों को भी प्राप्त होते हंय । विशेष में अज़ान देनेवालों को आठ (८) विशेष फ़ायदे मिलते हंय, यानी अज़ान देनेवालों को कुल १५ (पंदरह) फ़ायदे होते हंय ।

अज़ान देनेवालो को जो विशेष आठ (८) फ़ायदे होते हंय, वो निम्नलिखित हंय ।

- १) मैयत के फ़ायदे के लिए शैतान को दूर करने की तरकीब द्वारा सुन्नत की पाबंदी हूइ ।
- २) मैयत को जवाब देने में आसानी हो, ऐसी कोशिश कर के सुन्नत की

पैरवी की, जिसका सवाब मिलेगा ।

- ३) कब्र के पास दुआ की । जिस की वजह से भी सुन्नत पर अमल हुआ।
- ४) मैयत को फ़ायदा पहुँचाने की निय्यत से कब्र के पास 'तकवीरे' (अल्लाहो - अकवर) कहीं । इससे भी सुन्नत पर अमल हुआ ।
- ५) 'अज़ान' दे कर खुदा का ज़िक्र करने का सब ब मिला ।
- ६) मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम का ज़िक्र किया । जिस की बरकत से रहमतेँ मिलेंगी ।
- ७) दुवा करने के फ़जाइल हासिल हुअे और दुआ करना भी इबादत का महत्व का भाग है ।
- ८) अज़ान देने के फ़ायदे मिले । मिसाल के तौरे पर जहां तक अज़ान की आवाज़ पहुँचेगी वहां तक मगफ़ेरत तथा प्रत्येक खुश्क (सुकी) और तर (भीनी) चीज़ें उस के लिए मगफ़ेरत की दुआ करेंगी । विशेष में दिल को सुकून और चैन प्राप्त होगा ।

अज़ान में कितने वाक्य हैं ?

रसप्रद बात ये है कि अज़ान में कुल सात (७) वाक्य (जूमले) हंय । और वो हस्वे ज़ैल हंय ।

- १) अल्लाहो अकवर १ वाक्य
- २) अश्हदो - अल - ला - इलाहा - इल्लल्लाह १ वाक्य
- ३) अश्हदो - अन्ना - मुहम्मर्द - रसूलुल्लाह १ वाक्य
- ४) हय्या अलरसलात १ वाक्य
- ५) हय्या अलल फ़लाह १ वाक्य
- ६) अल्लाहो अकवर १ वाक्य
- ७) ला इलाहा इल्लल्लाह १ वाक्य

कुल.....७ वाक्य

लेकिन.....

उपरोक्त सात वाक्य अज़ान में इस्लामी कानून के मुताबिक इस तरह कहे जाते हंय कि उसका टोटल पंदरह (१५) होता है ।

जैसे कि :-

- १) अल्लाहो अकवर

४ मरतबा

२) अश्हदो - अल - ला - इलाहा - इल्लल्लाह	२ मरतवा
३) अश्हदो - अन्ना - मुहम्मर्द - रसूलुल्लाह	२ मरतवा
४) हय्या अलस्सलात	२ मरतवा
५) हय्या अलल फ़लाह	२ मरतवा
६) अल्लाहो अकबर	२ मरतवा
७) ला इलाहा इल्लल्लाह	१ मरतवा

कुल.....१५ मरतवा

तो सावित हुआ कि अज्ञान देने से मुर्दे को सात (७) और अज्ञान देने वाले को पंदरह (१५) फ़ायदे होते हंय, वो फ़ायदे हकीकत में उपर वयान किये गए सात (७) और पंदरह (१५) की वरकत है । लेकिन, सोचने की बात ये है कि क़ब्र पर अज्ञान देने की मना करनेवालों को मैयत और अज्ञान देनेवाले को इन सवाव के फ़ायदों से और वरकतों से मेहरुम रखने में कौन सा फ़ायदा नज़र आता है ?

हदीष में तो **ताजदारै मदीना** सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम इरशाद फ़रमाते हंय कि "तुम में से जो कोई भी अपने मुसलमान भाई को फ़ायदा पहुँचाने की ताक़त रखता हो, उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने मुसलमान भाई को फ़ायदा पहुँचाओ ।"

उपरोक्त हदीष में मुसलमान भाई को फ़ायदा पहुँचाने की संपूर्ण इज़ाज़त प्राप्त होने के वावजूद भी क़ब्र पर अज्ञान देने की मनाई करने वाले किस विना पर मनाइ कर रहे हंय, वो तो खुदा ही जाने ।

नसीहत नं. २

हदीष :- हज़रत अनस तथा हज़रत सहल इब्ने सअद रदीअल्लाहो अन्हुमा से रिवायत करते हंय कि हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम फ़रमाते हंय कि :-

“निय्यतुल - मोअमिने - स्वयस्म - मिन - अमलेहि”

अर्थात

“मुसलमान की निय्यत उसके अमल से बहेतर है ।”

(बयहकी तथा तिव्रानी)

जो शख़्स **“निय्यत का इल्म”** जानता है, वो सिर्फ़ एक काम करके अनेक नैकी हासिल कर सकता है । मिसाल के तौर पर कोई

शख्स नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद की तरफ़ चला और उसने सिर्फ़ नमाज़ पढ़ने की ही निय्यत की , तो उसका चलना बेशक़ बेहतर है । हर कदम पर उसे अके नैकी मिलेगी और अके अके गुनाह मा'फ़ होगा, लेकिन जो शख्स 'इल्मे निय्यत' जानता है, वो इस एक नैकी को अनेक नैकीयों में बदल सकता है ।

यानी जो शख्स नमाज़ के लिए जाये, तो वो नमाज़ की निय्यत के साथ साथ नीचे लिखे गये कामों की भी निय्यत कर ले :-

- १) अरसल मकसद नमाज़ के लिए जा रहा हूँ ।
- २) खुदा के घर (मस्जिद) की ज़ियारत करूँगा ।
- ३) इस्लाम की निशानी ज़ाहेर करूँगा ।
- ४) अल्लाह की तरफ़ बुलानेवाले (मोअज़्ज़ीन) का अमली स्वीकार करूँगा ।
- ५) मस्जिद में से कुड़ा - कचरा दूर करूँगा ।
- ७) अतफ़ाक़ करने जाता हूँ ।
- ८) फ़रमाने इलाही पर अमल करने जा रहा हूँ ।
- ९) वहाँ जो आलिम मिलेगा उससे मसाइल पुछूँगा और दीन की बात शिखूँगा ।
- १०) जाहिलों को मसाइल बताऊँगा और दीन की तालीम दूँगा ।
- ११) जो शख्स इल्म में मेरा समकक्ष (बरोबरी का) होगा उसके साथ इल्म की चर्चा करूँगा ।
- १२) आलिमों की ज़ियारत करूँगा ।
- १३) नैक मुसलमानों का दीदार करूँगा ।
- १४) दोस्तों से मुलाक़ात करूँगा ।
- १५) मुसलमानों से मिलाप करूँगा ।
- १६) जो रिश्तेदार मिलेगा उसके साथ हस्ते चेहरे से मिलूँगा ।
- १७) अहेले इस्लाम को सलाम करूँगा ।
- १८) मुसलमानों से मुसाफ़ा (हस्तधून) करूँगा ।
- १९) जो मुझ को सलाम करेगा उसका जवाब दूँगा ।
- २०) जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ने में मुसलमानों की बरकतें

हासिल करूंगा ।

२१) मस्जिद में दाखिल होते समय तथा

२२) मस्जिद से निकलने के समय हुजूरे अकदस सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम पर सलाम अर्ज़ करूंगा कि :-

“बिस्मिल्लाहे - अल - हम्दोलिल्लाहे - वस्सलामो - अला
रसूलिल्लाहे”

२३) मस्जिद में दाखिल होते समय तथा

२४) मस्जिद से निकलने के समय हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहे

वसल्लम तथा अज़वाजे मुतहहेरात पर दस्द भेजूंगा कि :-

“अल्लाहुम्मा - सल्ले - अला - सय्येदेना - मुहम्मदिव - व - अला -
आले - सय्येदेना - मुहम्मदिव - व - अला - अज़वाजे - सय्येदेना -
मुहम्मद”

२५) विमार की मिज़ाज पुरसी करूंगा ।

२६) अगर कोई ग़मी वाला मिलेगा तो ताज़ीयत करूंगा ।

२७) जिस मुसलमान को छींक आयेगी और वो 'अलहम्दोलिल्लाह'
कहेगा तो उसके जवाब में 'यरहमोकल्लाह' कहूंगा ।

२८) अच्छी और नेक बातों का हुकम करूंगा ।

२९) बुरी बातों से रोकूंगा ।

३०) नमाज़ी लोगों को वुज़ू का पानी दूंगा ।

३१) जो खूद मोअज़्ज़िन हो या मस्जिद में कोई मोअज़्ज़िन
मुक़र्रर

३२) न हो तो 'अजान' और 'इकामत' की निय्यत कर ले तो
अज़ान और इकामत देने का सवाब भी मिलेगा ।

३३) जो रास्ता भटका हुआ मिलेगा, उसे रास्ता बताऊंगा ।

३४) अन्धे की दस्तगिरी करूंगा ।

३५) अगर जनाज़ा मिलेगा तो नमाजे जनाजा पढ़ूंगा ।

३६) और अगर वक्त होगा तो दफ़न करने तक जाऊंगा ।

३७) दो मुसलमान में आपस में झगडा होगा, तो 'सुलेह' कराने

की कोशिश करूंगा ।

३८) मस्जिद में दाखिल होते समय पहले दायां पांच तथा

३९) मस्जिद से बाहर निकलते समय पहले बायां पांच रख कर
सुन्नत पर अमल करूंगा ।

४०) रास्ते में लिखा हुआ कागज मिलेगा, तो उसे उठाकर अदब
के साथ रख दूंगा । (विगेरह विगेरह)

मुख्तसर ये कि जो शख्स उपरोक्त चालीस (४०) नैक
इरादों के साथ घर से निकला है, वो सिर्फ नमाज ही के लिए
नहीं जा रहा, बल्कि उपरोक्त चालीस (४०) नैक काम करने के
लिए जा रहा है । तो उसका चलना इन चालीस नैक कामों की
तरफ़ है और उसे हर क़दम पर चालीस (४०) नेकीयां
मिलेंगी ।

नसीहत नं. ३

क़र्र पर अज़ान देने की मुख़ालेफ़त करने वाले ज़ाहिल विरोधी
यहाँ पर अेक अंतराज़ (टीका) ये भी करते हैं, कि अज़ान तो नमाज़ का
अैलान करने के लिए कही जाती हय । यहां पर कौन सी नमाज़ होने वाली
है कि जिस के लिए अज़ान कही जा रही है ।

लेकीन.....

ये उनकी साफ़ जेहालत है जो उनको ही शोभा देती है । ये लोग
इत्ना भी नहीं जानते कि अज़ान देने में क्या क्या फ़ायदे हंय और शरीअत
ने नमाज़ के इलावा वहोत सी जग़ह अज़ान देने को मुस्तहब फ़रमाया है।

मिसाल के तोरे पर ग़मगीनी के वक़त कान में अज़ान देना या
ग़भराहट दूर करने के लिए अज़ान देना जाइज कहा गया है । जिस की
विस्तृत माहिती देखना हो तो मेरी लिखी हूइ किताब “नसीमुस्सबा -
फी - अन्नल - अज़ाना - यहवेलुल - वबा” (हि.स. १३०२) का
वांचन करें ।

ये किताब महोरम शरीफ़ के अंत में सन हिज़री १३०७ में पूर्ण हुई।

वल - हम्दो - लिल्लाहे - रब्बिल - आलमीन
वरसलातो - वरसलामो - अला - सय्येदिल - मुस्सेलीना

- मुहम्मदिंव - व - आलेहि - व - अरहावेहि - अजमइन -

“आमीन”

महोरम शरीफ

अबदहुल मुज़निब

सन हिज़री १३०७

अब्दुल मुस्तफ़ा अहमद रज़ा

बरेल्वी

(ओफिया अन्हो वे मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा
नवीय्यील उम्मीये सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम)

☆ - असल किताब यहा पर पूरी हो गई - ☆

अनुवादक द्वारा

“इंट का जवाब पथर से”

★ क़द्र पर दफ़न के बाद अज़ान देने की वहावी - देवदंती - तबलीगी वगैरे द्वारा सख़ती से मना करने में आती हैं। जब उनसे मना करने का कारण पूछने में आता है तो कहते हैं कि अज़ान के बाद नमाज़ होनी चाहिये ओरे अब तो मुर्दा दफ़न हो चुका है। अब कौन सी नमाज़ बाकी है ?

इन लोगो के इस कथन का जवाब ये हैं कि इस किताब में आ'ला हज़रत, इमाम अहमद रज़ा मोहदिषे बरेल्वी (रहमतुल्लाहे अलैहे) ने सहीह हदीषों तथा आधारभूत किताबों के हवालों द्वारा पुरवार कर दिया है कि नमाज़ के इलावा बहुत सी जगह और परिस्थिती में सिर्फ अज़ान कही जाती है, और उस अज़ान के बाद नमाज़ नहीं है।

मिसाल के तोरे पर

★ दलील नं. १ :- में शयतान का खटका (दखल) दूर करने के लिए अज़ान देने का हदीष में आदेश है। उस अज़ान के बाद नमाज़ नहीं।

★ दलील नं. १२ :- में वर्णन है कि डर और ग़भराहट अज़ान देने से दूर होते हंय। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ग़भराहट दूर करने के लिए हज़रत जिब्रइल अलैहिस्सलाम ने अज़ान कही थी। इन अज़ानों के बाद भी नमाज़ नहीं। सिर्फ अज़ान ही अज़ान है।

★ दलील नं. १३. :- में हज़रत अली रदीअल्लाहो अन्हो

की गमगीनी दूर करने के लिए सरकारे दो आलम सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम ने हज़रत अली को कान में किसी द्वारा अज़ान कहेलवाने का इरशाद फ़रमाया । और इस इरशाद के अनूकरण में कइ सहाबा - ए - किराम - रिदवानुल्लाहे अलैहिम अजमइन ने अपनी गमगीनी दूर करने के लिए अज़ान देने का अमल किया । इन अज़ानों के बाद भी नमाज़ नहीं । सिर्फ़ अज़ान है बल्कि हदीष में सिर्फ़ कान में अज़ान देने का फ़रमान है, उस अज़ान के बाद नमाज़ का आदेश नहीं दिया गया ।

★ अगर हर अज़ान के बाद नमाज़ जरूरी मान ली जाए तो जुम्आ के दिन, जुम्आ की नमाज़ के चकत दो मरतजा अज़ान दी जाती है और नमाज़ तो सिर्फ़ एक ही होती है । जब अज़ानें दो (२) होंती हंय तो फिर नमाज़ भी दो (२) होनी चाहिये । लेकिन नमाज़ सिर्फ़ अक होती है । अक अज़ान की नमाज़ कहाँ गइ ? हो सकता है कि तबलीगी जमाअत का कोई अनुयायी ये जवाब दे कि जुम्आ के दिन जो दो अज़ान होती हैं उसमें से एक अज़ान नमाज़ के लिए है और दूसरी अज़ान खुत्बे के लिए है ।

तो इस का जवाब ये है कि अगर एक अज़ान खुत्बे के लिए है तो उसका मतलब ये हुआ कि खुत्बे के लिए भी अज़ान जरूरी है । तो फिर इद के दिन खुत्बे से पहले अज़ान क्यूं नहीं दी जाती ?

★ कइ मरतवा जब भयंकर विमारी (प्लेग वि.) फैल जाता है । या कभी आग़ सैलाब (बाढ़) जैसी आफ़त आ जाती है और समग्र जनसमूदाय बेचैनी और गभराहट का अनुभय करता है । अैसे गभराहट के समय अज़ान देने को बुजुर्गाने - दीन ने मुस्तहब कहा है । इन अज़ानों के बाद भी नमाज़ नहीं । सिर्फ़ अज़ान ही अज़ान है ।

★ अगर मान लिया जाअे कि हर अज़ान के बाद नमाज़ जरूरी है, तो इस का एक मतलब ये भी हो सकता है कि हर नमाज़ से पहले अज़ान आवश्यक है । क्युंकि अज़ान के बाद नमाज़ को जरूरी ठहरा कर अज़ान और नमाज़ का संबंध लाज़िम और मलजूम का कर दिया, यानी कि इन दोनों में से किसी एक की उपस्थिती में दूसरे का अस्तित्व सिर्फ़ जरूरी नहीं बल्कि अनिवार्य हो गया । तो फिर इद की नमाज़, चाशत की नमाज़, इशराक की नमाज़, अब्वाबीन की नमाज़, तहज़ज़ुद की नमाज़ तथा अन्य नमाज़ों से पहले अज़ान क्यूं नहीं दी जाती ?

अज़ान के बाद नमाज़ को जरूरी समझने की हठधर्मी करने वालों को सिर्फ़ इत्ना ही कहना है कि जब तुम हर अज़ान के बाद नमाज़ को

जरूरी समझते हो, तो फिर हर नमाज़ से पहले अज़ान को जरूरी ज्यूं नहीं समझते ? ये **One way** (अक दिशा) क्यूं ?

अंत में सिर्फ इत्ला कहेना है कि अगर क़ब्र पर दफ़न के बाद अज़ान देना मना है, तो वो मना का कारण क्या है ? और क़ब्र पर अज़ान देने से कौन सा गुनाह लाज़िम होगा ? शिर्क, कुफ़्र, हराम, ना-जाइज़, बिदअत, मकरुह या अन्य कोइ ? बहोत बहोत तो यही कहेंगे कि बिदअत हैं । तो अगर बिदअत है तो कौन से प्रकार की बिदअत है ? बिदअते अतकादी ? बिदअते अमली ? बिदअते हसना ? बिदअते सय्येअह ? बिदअते मकरुह ? बिदअते हराम ? बिदअते जाइज़ ? बिदअते मुस्तहब ? या बिदअते वाजिब ?

लेकिन.....

ये तो साफ़ साबित है कि क़ब्र पर अज़ान देने से रोकना, और रोकने के लिए जबरदस्ती, शिद्दत (अतिशयोक्ति) करना और मार - पीट तथा झगडे-फ़साद तक मामले को पहुँचा देना और मुसलमानों में फ़िल्ता खड़ा करना निःशंक गुनाह है । कुरआन और हदीषों में मुसलमानों के दरमियान फ़िल्ता खड़ा करने की सख़्त मनाई की गई है और ऐसा करने वालों का सख़्त गुनाह और अज़ाब की चेतावनी (वइद) दी गई है । मुसलमानों में फ़ूट डलवाना मो'मीन का नहीं बल्कि मुनाफ़िक का काम है ।

एक बात की भी यहाँ पर वज़ाहत (स्पष्टिकरण) कर लें कि अगर किसी शहर या गांव में दफ़न के बाद अज़ान देने की रस्म (प्रणलिका) है और उसको तबलीग़ जमाअत वालों ने बंध करा भी दिया, तो क्या किया ? सिर्फ यही नां कि अल्लाह का नाम लेने से लोगों को रोका । इस से विशेष कुछ नहीं । कोई बहादूरी का काम तो नहीं । अल्लाह के बन्दों को अल्लाह का नाम लेने से रोका । और अल्लाह का नाम लेने से रोकने का काम किस का है ? इस का फ़ेंसला खुद वांचक ही करें । ज्यादा अफ़सोस की बात तो ये है, कि मजहब की आड़ (सहारा) लेकर अल्लाह का नाम लेने से रोकने की चेष्टा की जा रही है और मुसलमानों में आपस में ना इत्तेफ़ाकी फैलाइ जा रही है ।

**ज़िक्र रोके, फ़ज़ल काटे, नुकस का जोयां रहे,
फिर करे मरदक के हूं, उम्मत रसूलुल्लाह की ।**

(अज़ :- आला हज़रत)

खुदा - अ - तआला अपने हवीवे पाक व महेबूवे आजम
सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम के सदके में हर मोमीन मुसलमान को शैतान
के मक्रौ - फ़रैव से बचाओ और मज़हबे हक पर कायम रहने और चलने
की तौफ़ीक अता फ़रमाओ ।
आमीन ॥

क्र. संक. : बारगाहे 'रज़ा' का अदना सवाली
२३-८-१९९६ अब्दुस्सत्तार हमदानी - पोरवंदर
'नुम्आ मुवारक (बरकाती - रज़वी - नूरी)
स्थल :- नागपूर

मुजद्दिदे अअज़म इमामे अहले सुन्नत, अअला हज़रत
इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले बरेलवी अलैहिर्रहमा
का तर्जमाए क़ुरआन

कंज़ुल ईमान

और

हज्ज व ज़ियारत

हिन्दी में शायी होकर मंज़रे आम पर आ चुका है।

नाशिर : रज़ा एकेडमी

२६, कांबेकर स्ट्रीट, मुम्बई-३. फोन नं.: ३७३७६८१-३७०२२९६

मिलने का पता : फ़ारुक़िया बुक डिपो

४२२, मटिया महल, जामेअ मस्जिद, दिल्ली - ६ फ़ोन - ३२६६०५३

रज़ा एकेडमी मुंबई की हिन्दी मतबूआत

नाम किताब	तरनीफ़
१. कंजुल ईमान फ़ी तर्जमतिल कुरआन	यय्यदना अञ्जला हज़रत अल्लोहर्रहमा
२. अनवारुल विशाग्रह (रज़्ज व ज़ियारत)	" "
३. मज़ाराते औलिया पर गौशनी	" "
४. शाने हज़ूर ग़ौम अञ्जम	" "
५. सबूत हिलाल के तरीक़े	" "
६. मीलादे मुस्तफ़ा	" "
७. ममाइले बुजू	" "
८. फ़ातिहा का सबूत	" "
९. अक्राएदे हक्का	" "
१०. तिजारत का जाइज़ तरीका	" "
११. दअ्वते मय्येत	" "
१२. इल्मे ग़ैवे रसूल	" "
१३. ख़िज़ाव का मस्अला	" "
१४. अज़ाने क़ब्र	" "
१५. मेहमान नवाज़ी के फ़ज़ाइल	" "
१६. निदाए या रसूलल्लाह	" "
१७. इरफ़ाने शरीअत	" "
१८. इमामते सिदीक़ व अली	" "
१९. अहकामे तस्वीर	" "
२०. नजात नामा	" "
२१. झूटे रसूल का नया कलिमा	" "
२२. ज़बीहे इसाले सवाब	" "
२३. बुजुर्गाने दीन से इस्तिआनत	" "
२४. जमाले मुहम्मद मुस्तफ़ा	मुहम्मद शमीम अंजुम नूरी
२५. हमारे अञ्जला हज़रत	मुहम्मद शमीम अंजुम नूरी

रज़ा एकेडमी मुंबई की हिन्दी मतबूआत

नाम किताब	तरनीफ़
१. कंजुल ईमान फ़ी तर्जमतिल कुरआन	मय्यदुना अअ़ला हज़रत अल्लाह रज़ा
२. अनवारुल विशारह (हज्ज व ज़ियारत)	" " "
३. मज़ाराते औलिया पर रौशनी	" " "
४. शाने हज़ूर ग़ौसे अज़म	" " "
५. सबूत हिलाल के तरीके	" " "
६. मीलादे मुस्तफ़ा	" " "
७. ममाइले वुजू	" " "
८. फ़ातिहा का सबूत	" " "
९. अक्राएदे हक्का	" " "
१०. तिजारत का जाइज़ तरीका	" " "
११. दअ्वते मय्येत	" " "
१२. इल्मे ग़ैवे रसूल	" " "
१३. खिज़ाव का मस्अला	" " "
१४. अज़ाने क़ब्र	" " "
१५. मेहमान नवाज़ी के फ़ज़ाइल	" " "
१६. निदाए या रसूलल्लाह	" " "
१७. इरफ़ाने शरीअत	" " "
१८. इमामते सिद्दीक़ व अली	" " "
१९. अहकामे तस्वीर	" " "
२०. नजात नामा	" " "
२१. झूटे रसूल का नया कलिमा	" " "
२२. ज़वीहे इमाले सबाव	" " "
२३. वुजुर्ग़ाने दीन से इस्तिआनत	" " "
२४. जमाले मुहम्मद मुस्तफ़ा	मुहम्मद शमीम अंजुम नूरी
२५. हमारे अअ़ला हज़रत	मुहम्मद शमीम अंजुम नूरी